राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

<u>कार्यालय आदेश</u>

विभागीय आदेश क्रमांक 7700 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिक्षण संस्थान **''श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा''** को विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुसार ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16/ 2025 राधा माधव प्राइवेट आई.टी.आई. बनाम राजस्थान राज्य में अन्य (कनेक्टेड में 09 याचिका) कुल 10 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 की अनुपालना में विभागीय पत्र दिनांक 28.09.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **''श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा''** को दिनांक 06.10.2025 को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिक्षण संस्थान से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित/गलत दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **Scholarship/2021-22/4594968(SEMESTER 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी

RajKaj Ref No.:
19830751
eSign DSC

जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शिक्षण संस्थान **"श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा"** द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त / उप / सहायक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-01-2026 03:41:54

RajKaj Ref No.: 19830751
eSign DSC

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7700 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिक्षण संस्थान **"श्री मोहन प्राईवेट आईटीआई, दौसा"** को विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुसार ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16/ 2025 राधा माधव प्राइवेट आई.टी.आई. बनाम राजस्थान राज्य में अन्य (कनेक्टेड में 09 याचिका) कुल 10 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 की अनुपालना में विभागीय पत्र दिनांक 20.09.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **"श्री मोहन प्राईवेट आईटीआई, दौसा"** को दिनांक 07.10.2025 को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिक्षण संस्थान से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित/गलत दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **Scholarship/2022-23/4440657(SEMESTER 3)** इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी

RajKaj Ref No.:
19830738
eSign DSC

जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शिक्षण संस्थान **"श्री मोहन प्राईवेट आईटीआई, दौसा"** द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की random जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की तिथि से 05 वर्ष, जो भी बाद में हो की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट किए जाने की तिथि से पूर्व प्राप्त समस्त लंबित आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त / उप / सहायक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-01-2026 03:41:55

RajKaj Ref No.: 19830738
eSign DSC

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7700 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिक्षण संस्थान **''रुक्मणी देवी प्रा. आईटीआई, जयपुर''** को विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुसार ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16/ 2025 राधा माधव प्राइवेट आई.टी.आई. बनाम राजस्थान राज्य में अन्य (कनेक्टेड में 09 याचिका) कुल 10 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 की अनुपालना में विभागीय पत्र दिनांक 20.09.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **''रुक्मणी देवी प्रा. आईटीआई, जयपुर''** को दिनांक 06.10.2025 को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिक्षण संस्थान से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित/गलत दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **Scholarship/2021-22/4927484(SEMESTER 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी

RajKaj Ref No.: 19830730
eSign DSC

जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शिक्षण संस्थान **"रुक्मणी देवी प्रा. आईटीआई, जयपुर"** द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-01-2026 03:41:56

RajKaj Ref No.: 19830730
eSign DSC

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7700 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिक्षण संस्थान **''निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर''** को विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुसार ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16/ 2025 राधा माधव प्राइवेट आई.टी.आई. बनाम राजस्थान राज्य में अन्य (कनेक्टेड में 09 याचिका) कुल 10 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 की अनुपालना में विभागीय पत्र दिनांक 28.09.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **''निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर''** को दिनांक 06.10.2025 को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिक्षण संस्थान से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित/गलत दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **Scholarship/2021-22/4969712(SEMESTER 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी

RajKaj Ref No.:
19830688
eSign DSC

जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शिक्षण संस्थान **"निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर"** द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त / उप / सहायक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-01-2026 03:42:37

RajKaj Ref No.: 19830688
eSign DSC

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

<u>कार्यालय आदेश</u>

विभागीय आदेश क्रमांक 7700 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिक्षण संस्थान **''राधा माधव प्राईवेट आई.टी.आई, शाहपुरा, जयपुर''** को विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुसार ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16/ 2025 राधा माधव प्राइवेट आई.टी.आई. बनाम राजस्थान राज्य में अन्य (कनेक्टेड में 09 याचिका) कुल 10 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 की अनुपालना में विभागीय पत्र दिनांक 20.09.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **''राधा माधव प्राईवेट आई.टी.आई, शाहपुरा, जयपुर''** को दिनांक 07.10.2025 को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिक्षण संस्थान से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित/गलत दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2022-23/5566973 (SEMESTER 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी

जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शिक्षण संस्थान **"राधा माधव प्राईवेट आई.टी.आई, शाहपुरा, जयपुर"** द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त / उप / सहायक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-01-2026 03:42:33

RajKaj Ref No.: 19830710
eSign DSC

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7700 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिक्षण संस्थान **"केजीआर प्राईवेट आईटीआई, जयपुर"** को विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुसार ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16/ 2025 राधा माधव प्राइवेट आई.टी.आई. बनाम राजस्थान राज्य में अन्य (कनेक्टेड में 09 याचिका) कुल 10 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 की अनुपालना में विभागीय पत्र दिनांक 30.11.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **"केजीआर प्राईवेट आईटीआई, जयपुर"** को दिनांक 03.12.2025 को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिक्षण संस्थान से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित/गलत दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **Scholarship/2021-22/4809889(SEMESTER 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी

RajKaj Ref No.:
19830667
eSign DSC

जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शिक्षण संस्थान **"केजीआर प्राईवेट आईटीआई, जयपुर"** द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त / उप / सहायक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-01-2026 03:42:39

RajKaj Ref No.: 19830667
eSign DSC

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7700 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिक्षण संस्थान **''जय मीनेश प्राईवेट आईटीआई, लालसोट दौसा''** को विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुसार ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16/ 2025 राधा माधव प्राइवेट आई.टी.आई. बनाम राजस्थान राज्य में अन्य (कनेक्टेड में 09 याचिका) कुल 10 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 की अनुपालना में विभागीय पत्र दिनांक 20.09.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **''जय मीनेश प्राईवेट आईटीआई, लालसोट दौसा''** को दिनांक 07.10.2025 को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिक्षण संस्थान से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **Scholarship/2022-23/5015242(SEMESTER 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी

RajKaj Ref No.:
19830653
eSign DSC

जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शिक्षण संस्थान **"जय मीनेश प्राईवेट आईटीआई, लालसोट दौसा"** द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त / उप / सहायक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-01-2026 03:42:43

RajKaj Ref No.: 19830653

eSign DSC

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7700 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिक्षण संस्थान **''श्री अग्रसेन प्राईवेट आईटीआई''** को विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुसार ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16/ 2025 राधा माधव प्राइवेट आई.टी.आई. बनाम राजस्थान राज्य में अन्य (कनेक्टेड में 09 याचिका) कुल 10 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 की अनुपालना में विभागीय पत्र दिनांक 20.09.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **''श्री अग्रसेन प्राईवेट आईटीआई''** को दिनांक 07.10.2025 को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिक्षण संस्थान से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **Scholarship/2022-23/5268749(SEMESTER 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी

जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शिक्षण संस्थान **"श्री अग्रसेन प्राईवेट आईटीआई"** द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-01-2026 03:42:45

RajKaj Ref No.: 19830642

eSign DSC

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7700 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिक्षण संस्थान **''राजस्थान प्राईवेट आईटीआई,जमवारामगढ़ जयपुर''** को विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुसार ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16/ 2025 राधा माधव प्राइवेट आई.टी.आई. बनाम राजस्थान राज्य में अन्य (कनेक्टेड में 09 याचिका) कुल 10 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 की अनुपालना में विभागीय पत्र दिनांक 20.09.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **''राजस्थान प्राईवेट आईटीआई,जमवारामगढ़ जयपुर''** को दिनांक 09.10.2025 को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिक्षण संस्थान से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **Scholarship/2021-22/4780068(SEMESTER 1), Scholarship/2022-23/5766072 (SEMESTER 2)** इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे

RajKaj Ref No.:
19830622
eSign DSC

विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शिक्षण संस्थान **"राजस्थान प्राईवेट आईटीआई,जमवारामगढ़ जयपुर"** द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त / उप / सहायक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-01-2026 03:43:10

RajKaj Ref No.: 19830622
eSign DSC

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7700 दिनांक 27.12.2023, 7215, 7227 / दिनांक 01.12.2023, 7770, 7784, 7798, 7812 / दिनांक 02.01.2024 के द्वारा निम्नांकित 34 शिक्षण संस्थानों को विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुसार ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16 / 2025 राधा माधव प्राइवेट आई.टी.आई. बनाम राजस्थान राज्य में अन्य (कनेक्टेड में 09 याचिका) कुल 10 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 की अनुपालना में उक्त 34 शिक्षण संस्थानों को विभागीय पत्र दिनांक 19.09.2025, दिनांक 20.09.2025, दिनांक 30.11.2025 द्वारा निर्धारित तिथि को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया :–

S.No.	Institute Id	Institute/University	District
1	11117	AGRASEN PVT. ITI , HINDAUN CITY	KARAULI
2	17418	BABA RAMDEV PVT ITI COLLEGE	JAIPUR
3	25335	BALAJI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE	JAIPUR
4	8500	BHAGWANT UNIVERSITY AJMER	AJMER
5	18091	BHAIRAV PVT INDUSTRIAL TRAINING INSTUTITE	JAIPUR
6	32281	GAURAV T T COLLEGE	JAIPUR
7	24867	JAYA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE	JAIPUR
8	28045	JD PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE	JAIPUR
9	12687	LAXMAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE P S BONIL	SAWAI MADHOPUR
10	13051	LAXMAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000333)	GANGAPUR CITY
11	17398	MAHARSHI ANGIRA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE	DAUSA
12	17727	MAHATMA JYOTI RAO PHOOLE UNIVERSITY, ACHROL	JAIPUR
13	18048	NAV PRATEEK PVT. ITI , CHAKSU	JAIPUR
14	19456	NEW MAA BHAGWATI PVT ITI	DAUSA
15	10102	NEW SHREE BALAJI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE	JAIPUR
16	18080	PRATEEK PVT. ITI , CHAKSU	JAIPUR
17	19228	QUALITY PRIVATE ITI SIKAR	SIKAR
18	17644	RAGHUKUL PRIVATE ITI, BEHIND GOVERNMENT HOSPITAL, RALAWATA ROAD, DIST. DAUSA	DAUSA
19	3438	S P D M PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE	JAIPUR
20	17767	SHIVALOK PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE	JAIPUR
21	17663	SHREE RAM PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE	DAUSA
22	11489	SHRI GANESH PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001444)	JAIPUR
23	33214	SHRI RAMKRISHNA PVT ITI	DAUSA
24	57	SHRIDHAR UNIVERSITY	JHUNJHUNU
25	12485	SINGHANIA UNIVERSITY, JHUNJHUNU	JHUNJHUNU
26	274	SORABH PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE	DAUSA
27	17378	SUNRISE MOON PRIVATE ITI	JAIPUR
28	15135	SUNRISE UNIVERSITY,ALWAR,RAJASHTAN	ALWAR
29	17202	SUNRISEITICOLLEGE	JAIPUR

30	11728	VEDIC GURUKUL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY,JAIPUR	JAIPUR
31	17034	VIJAY PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE RADAWAS	JAIPUR
32	5155	HADOTI PRIVATE ITI	KOTA
33	10487	OPJS UNIVERSIY	CHURU
34	30	CITY PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE , KONARK JAIPUR ROAD SIKAR	SIKAR

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

RajKaj Ref No.:
19832109
eSign DSC

माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत भी उक्त 34 शिक्षण संस्थानों के प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि एवं समय पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त / उप / सहायक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-01-2026 03:41:52

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7700 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिक्षण संस्थान **''बियानी प्राईवेट आईटीआई''** को विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुसार ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16/ 2025 राधा माधव प्राइवेट आई.टी.आई. बनाम राजस्थान राज्य में अन्य (कनेक्टेड में 09 याचिका) कुल 10 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 की अनुपालना में विभागीय पत्र दिनांक 30.11.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **''बियानी प्राईवेट आईटीआई''** को दिनांक 03.12.2025 को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिक्षण संस्थान से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा Scholarship/2021-22/4921269(SEMESTER1), Scholarship/2021-22/4921358(SEMESTER1), Scholarship/2021-22/4921366(SEMESTER1), Scholarship/2021-22/4921424 (SEMESTER 1) इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे

RajKaj Ref No.:
19830601
eSign DSC

विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शिक्षण संस्थान **बियानी प्राईवेट आईटीआई** द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त / उप / सहायक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-01-2026 03:43:11

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7700 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिक्षण संस्थान **''यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर''** को विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुसार ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16/ 2025 राधा माधव प्राइवेट आई.टी.आई. बनाम राजस्थान राज्य में अन्य (कनेक्टेड में 09 याचिका) कुल 10 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 की अनुपालना में विभागीय पत्र दिनांक 19.09.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **''यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर''** को दिनांक 25.09.2025 को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिक्षण संस्थान से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **Scholarship/2022-23/5555234(SEMESTER 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार है:–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी

RajKaj Ref No.:
19830763

eSign DSC

जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शिक्षण संस्थान **"यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर"** द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त / उप / सहायक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-01-2026 03:41:53

RajKaj Ref No.: 19830763
eSign DSC

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7700 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा शिक्षण संस्थान **''श्री मोहन प्राईवेट आईटीआई, दौसा''** को विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुसार ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16/ 2025 राधा माधव प्राइवेट आई.टी.आई. बनाम राजस्थान राज्य में अन्य (कनेक्टेड में 09 याचिका) कुल 10 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 की अनुपालना में विभागीय पत्र दिनांक 20.09.2025 द्वारा शिक्षण संस्थान **''श्री मोहन प्राईवेट आईटीआई, दौसा''** को दिनांक 07.10.2025 को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिक्षण संस्थान से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों की randomly जांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित/गलत दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **Scholarship/2022-23/4440657(SEMESTER 3)** इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी

RajKaj Ref No.:
19830738
eSign DSC

जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शिक्षण संस्थान **"श्री मोहन प्राईवेट आईटीआई, दौसा"** द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की random जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की तिथि से 05 वर्ष, जो भी बाद में हो की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट किए जाने की तिथि से पूर्व प्राप्त समस्त लंबित आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR/PRAKARAN/SJED/2023/00247 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त / उप / सहायक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-01-2026 03:41:55

RajKaj Ref No.: 19830738
eSign DSC